

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1

संख्या: 2011/35-1-2008-2/1(38)/2008

लखनऊ. दिनांक. 07. नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरप्लस स्टाफ को चिन्हित करने के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा नियोजन विभाग से समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन को समिति के प्रशासकीय कार्यों हेतु एवं जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० को समिति के तकनीकी कार्यों हेतु क्रमशः नोडल अनुभाग/प्रभाग नामित किया जाता है।

रमेश सिन्हा
सचिव।

संख्या: 2011 (1)/35-1-2008-2/1(38)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 3- सचिव कार्मिक विभाग।
- 4- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
- 5- राज्य योजना आयोग-2

आज्ञा से,

(अवनीश चन्द्र शंखर)
अनु सचिव।